

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री गोपाल लाल ओझा, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि चैंची-बेंगू, चित्तोडगढ जिनकी जन्म तिथि:- 01.01.1959 है, का निधन दिनांक:-13.10.2018 को हो चुका है। अतः श्री गोपाल लाल ओझा, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि चैंची-बेंगू, चित्तोडगढ की सेवायें दिनांक :-13.10.2018 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री गोपाल लाल ओझा, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि चैंची-बेंगू, चित्तोडगढ, के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवा-समाप्ति/2018

दिनांक- 19.12.2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. प्रधानाचार्य, राउमावि चैंची-बेंगू, चित्तोडगढ
5. आश्रित श्री गोपाल लाल ओझा, प्राध्यापक- हिन्दी राउमावि चैंची-बेंगू, चित्तोडगढ
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर